

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :: edprmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(304)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/ 510

Dated:- 22.02.2022


कार्यालय आदेश

भेषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(304)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/1847 Dated:-14.10.2020 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स Orison Pharma Intemational, vill-Khari, Mauza-Ogli, Sadhaura Road, Kala Amb- 173030, Distt Sirmour (H.P.) द्वारा औषधि Paracetamol Tab IP 500 mg (आइटम कोड 28), Glimepiride Tab IP 1mg (आइटम कोड 290) Montelukast (10 mg) + Levocetirizine Tablet (5 mg) (आइटम कोड 660), Clonazepam Tablet 0.5 mg (आइटम कोड 678) व Azithromycin Tab IP 500 mg (आइटम कोड 80A) के लिये भी बिड प्रस्तुत की गई थी, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 15.12.2020 को खोली गई।

दर अनुमोदन पर आइटम कोड 28 (Paracetamol Tab IP 500 mg), आइटम कोड 660(Montelukast (10 mg) + Levocetirizine Tablet (5 mg)) व आइटम कोड 80A (Azithromycin Tab IP 500 mg) के लिये फर्म को दिनांक 23.04.2021 एलओए जारी किये गये थे। फर्म ने आपने पत्र दिनांक 29.04.2021 व 03.05.2021 द्वारा अवगत करवाया कि कोरोना महामारी के कारण इन आइटमों के लिये कच्चा माल (Raw Material) नहीं मिल रहा है इस कारण सप्लाई करने में व दर संविदा (Rate Contract) करने में असमर्थ हैं। जिसके पश्चात दिनांक 31.05.2021 को अनुमोदित आइटम कोड 290(Glimepiride Tab IP 1mg) व आइटम कोड 678 (Clonazepam Tablet 0.5 mg) के लिये एलओए जारी किये गये। फर्म ने आइटम कोड 290(Glimepiride Tab IP 1mg) के लिये एग्रीमेंट व प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर दी एवं आइटम कोड 678 (Clonazepam Tablet 0.5 mg) के लिये पत्र दिनांक 23.06.2021 द्वारा अवगत करवाया कि कोरोना महामारी के कारण इस आइटम के लिये कच्चा माल (Raw Material) नहीं मिल रहा है इस कारण सप्लाई करने में व दर संविदा (Rate Contract) करने में असमर्थता व्यक्त की। फर्म द्वारा आइटम कोड 28 (Paracetamol Tab IP 500 mg), आइटम कोड 660(Montelukast (10 mg) + Levocetirizine Tablet (5 mg)) व आइटम कोड 80A (Azithromycin Tab IP 500 mg) तथा आइटम कोड 678 (Clonazepam Tablet 0.5 mg) के लिये एग्रीमेंट व प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं की जो निविदा शर्त संख्या 12(a) का उल्लंघन है।

प्रकरण अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 08.10.2021 में रखा गया। अनुशासनात्मक समिति द्वारा आरएमएससीएल की डिबारिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 "The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years." के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी। इस निर्णय के क्रम में निगम के आदेश क्रमांक F.02(304)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/3050 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा आइटम

कोड 678 (Clonazepam Tablet 0.5 mg) के लिये मैसर्स Orison Pharma Intemational, को आरएमएससीएल की निविदाओं में भाग (participate) लेने हेतु यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार किया गया एवं बिड सिक्योरिटी राशि रु 2,00,000/- (अक्षरे राशि रु. दो लाख मात्र) जब्त करने का आदेश जारी किया गया। अनुशासनात्मक समिति द्वारा उपर्युक्तानुसार की गयी अनुशंषा की निरन्तरता में मैसर्स Orison Pharma Intemational को आइटम कोड 28 (Paracetamol Tab IP 500 mg), आइटम कोड 660(Montelukast (10 mg) + Levocetirizine Tablet (5 mg)) व आइटम कोड 80A (Azithromycin Tab IP 500 mg) के लिये आरएमएससीएल की निविदाओं में भाग (participate) लेने हेतु यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार किया जाता है।



प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(304)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/510

Dated:- 21.02.2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
7. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल।
8. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
9. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल।
10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Orison Pharma Intemational, vill-Khari, Mauza-Ogli, Sadhaura Road, Kala Amb- 173030, Distt Sirmour (H.P.)
11. सहायक महाप्रबंधक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट एवं Software में अपलोड करावें।


कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल